दिनांक 27.01.2025
प्रेस विज्ञप्ति 40/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद फतेहपुर/थाना खागा

- **पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 मोबाइल फोन**
- **नगद रूपये**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 26/27.01.2025 की रात्रि थाना खागा व थाना सुल्तानपुर घोष की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बुधवन मोड़ से बुधवन गॉव के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–मो0 इरफान घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–हसमत अली सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 मोबाइल फोन, नगद रूपये, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सुल्तानपुर घोष जनपद फतेहपुर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त मो0 इरफान के विरूद्ध जनपद फतेहपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 09 अभियोग व अभियुक्त हसमत अली के विरूद्ध जनपद

फतेहपुर के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना खागा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मो0 इरफान निवासी इजूरा बुजुर्ग थाना सुल्तानपुर घोष जनपद फतेहपुर।

2—हसमत अली निवासी कुड़ी मोहल्ला थाना खखरेरू जनपद फतेहपुर।

बरामदगी

1—02 मोबाइल फोन।

2—नगद रूपये।

3—01 मोटर साइकिल।

4—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद

- **25—25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 25 लाख रूपये कीमत के मोबाइल टावर के चोरी के 02 रेडियो रिसिवर यूनिट, 04 बेसबैण्ड यूनिट आदि बरामद**

दिनांक 26.01.2025 को क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना वेव सिटी क्षेत्र से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1—कासिम मलिक 2—गोल्डी उर्फ फरहान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 25 लाख रूपये कीमत के मोबाइल टावर के चोरी के 02 रेडियो रिसिवर यूनिट, 04 बेसबैण्ड यूनिट आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो थाना वेव सिटी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25—25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कासिम मलिक निवासी 45 फुटा रोड हिण्डन विहार थाना नन्दग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2—गोल्डी उर्फ फरहान निवासी 45 फुटा रोड हिण्डन विहार थाना नन्दग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1—लगभग 25 लाख रूपये कीमत के मोबाइल टावर के चोरी के 02 रेडियो रिसिवर यूनिट, 04 बेसबैण्ड यूनिट।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना चौक

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 33 लाख रूपये कीमत के धोखाधड़ी के 32 किलो 468 ग्राम चाँदी के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 27.01.2025 को थाना चौक पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कुडीया घाट के पास से अभियुक्त अर्पित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 33 लाख रूपये कीमत के धोखाधड़ी के 32 किलो 468 ग्राम चाँदी के आभूषण आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना चौक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अर्पित निवासी ग्राम उमरी विशुनपुर थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1—लगभग 33 लाख रूपये कीमत के धोखाधड़ी के 32 किलो 468 ग्राम चाँदी के आभूषण आदि।

एएनटीएफ/एएनटीएफ थाना सहारनपुर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ 23 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 615 ग्राम अवैध स्मैक पाउडर/हेरोइन**
- **01 चार पहिया वाहन**
- **02 मोबाइल फोन**
- **1730/-रूपये नगद बरामद**

दिनॉकः 26.01.2025 को एएनटीएफ थाना सहारनपुर द्वारा सूचना के आधार पर तिलफरा चेक पोस्ट से पहले, जडौदा पांडा थाना नानौता जनपद सहारनपुर से 02 अभियुक्तों 1-मो0 उस्मान 2-नवाब उर्फ जुनैद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ 23 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 615 ग्राम अवैध स्मैक पाउडर/हेरोइन, 01 चार पहिया वाहन, 02 मोबाइल फोन, 1730/-रूपये नगद बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना नानौता जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-मो0 उस्मान निवासी ओल्ड हमीदा, आनन्द कालोनी थाना सिटी यमुनानगर जनपद यमुनानगर, हरियाणा।

2-नवाब उर्फ जुनैद निवासी मोहल्ला किला कस्बा अम्बेहटा पीर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1-लगभग 01 करोड़ 23 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 615 ग्राम अवैध स्मैक पाउडर/हेरोइन।

2-01 चार पहिया वाहन।

3-02 मोबाइल फोन।

4-1730/-रूपये नगद।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना दादरी

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 07 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनॉकः 27.01.2025 को थाना दादरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कठहैरा मोड़ के पास से 03 अभियुक्तों 1–अजय 2–ललित 3–छोटेलाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 07 मोटर साइकिल आदि बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना दादरी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अजय निवासी ग्राम सिसौना थाना रजपुरा जनपद सम्भल हालपता–रेलवे रोड दादरी, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2–ललित निवासी ग्राम सिसौना थाना रजपुरा जनपद सम्भल हालपता–रेलवे रोड दादरी, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

3–छोटेलाल निवासी ग्राम सिसौना थाना रजपुरा जनपद सम्भल हालपता–रेलवे रोड दादरी, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–चोरी की 07 मोटर साइकिल आदि।

जनपद चन्दौली/थाना चकिया

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 10 लाख रूपये कीमत के 39 किलो 350 ग्राम अवैध गांजा बरामद**

दिनांक 26.01.2025 को थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गरला तिराहा के पास से 03 अभियुक्तों 1–कन्हैया 2–सतीश कुमार 3–जयप्रकाश को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 10 लाख रूपये कीमत के 39 किलो 350 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना चकिया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कन्हैया निवासी ग्राम कल्यानीपुर भैंसहट थाना चैनपुर जनपद कैमूर भभुआ बिहार।

2—सतीश कुमार निवासी ग्राम टोढ़ी थाना भगवानपुर जनपद कैमूर भभुआ बिहार।

3—जयप्रकाश निवासी ग्राम कलौरा थाना चांद जनपद कैमूर भभुआ बिहार।

बरामदगी

1—लगभग 10 लाख रूपये कीमत के 39 किलो 350 ग्राम अवैध गांजा।

जनपद बाराबंकी/थाना सतरिख

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **465 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

दिनांक 26/27.01.2025 को थाना सतरिख पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1—गुड्डू उर्फ फारूख 2—शिवकुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 465 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सतरिख पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गुड्डू उर्फ फारूख निवासी ग्राम करौदी कला थाना सतरिख जनपद बाराबंकी।

2—शिवकुमार निवासी ग्राम जैनाबाद थाना सतरिख जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1—465 ग्राम अवैध स्मैक।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना सुरसा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना सुरसा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त कमलेश को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद एटा/थाना राजा का रामपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना राजा का रामपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अजय कुमार को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोरखपुर/थाना चिलुआताल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना चिलुआताल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सत्य नारायण को सश्रम आजीवन कारावास व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना को0देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 25 वर्ष के कठिन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना को0देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि व 5एम/6

पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मनीष कुमार को 25 वर्ष के कठिन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद औरैया/थाना कोतवाली औरैया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना कोतवाली औरैया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376डी भादवि व 5जी/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–बन्टी उर्फ दीपक 2–आरिफ को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————